

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (29). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2018/वाक/पांच (29), दिनांक 23-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd March 2018

NOTIFICATION
No. 15/2018 – State Tax

No. F-10- 15 /2017/CT/V (29). – In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby appoints the 1st day of April, 2018, as the date from which the provisions of sub-rule (ii) of rule 2, except clause (7), and sub-rules (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of rule 2 of State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 12/2018-State Tax, No. F-10-9/2018/CT/V(22), dated the 7th March, 2018 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 93, dated the 12th March, 2018, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

अधिसूचना

सं. 16/2018 – राज्य कर

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (30). – आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसमें पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2018	20 मई, 2018
2.	मई, 2018	20 जून, 2018
3.	जून, 2018	20 जुलाई, 2018